17 दिसंबर, 2021 करेंट अफेयर्स

1. **नागालैंड ने की AFSPA को हटाने की मांग:**

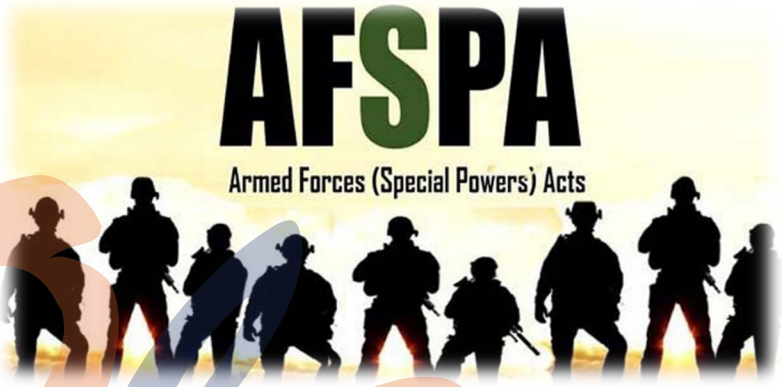

- नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 14 नागरिकों मौत के बाद, नेशनल पीपल्स पार्टी की सांसद अगाथा संगमा ने लोकसभा में AFSPA (Armed Forces Special Powers Act) को निरस्त की मांग की।
- नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने भी AFSPA को निरस्त करने की मांग की।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (AFSPA):

- AFSPA को 1958 में लागू किया गया था, इसका उपयोग अशांत घोषित किये गये क्षेत्रों में किया जाता है।

- इस अधिनियम के द्वारा किसी क्षेत्र में धार्मिक, नस्लीय, भाषायी तथा समुदायों के बीच विवाद के कारण इसे राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा अशांत घोषित किया जा सकता है।

अशांत क्षेत्र की घोषणा :

- इस अधिनियम के सेक्शन 3 में राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल को भारत में गज़ट में अधिसूचना जारी करने की शक्ति दी गयी, जिसे बाद केंद्र के पास नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र बल भेजने की शक्ति है।
- यदि किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है तो यह स्थिति कम से कम तीन महीने के लिए लागू होगी।

सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां :

- इस अधिनियम के द्वारा सशस्त्र बलों, राज्य व केन्द्रीय पुलिस बल को उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपत्ति अथवा घर को नष्ट करने, छानबीन करने तथा गोली मारने का अधिकार दिया गया है।
- इस अधिनियम में सुरक्षा बलों को दुर्भावनापूर्ण व महत्त्वहीन मुकद्दमे से भी सुरक्षा प्रदान की गयी है।

2. ART और सरोगेसी पर बिल राज्यसभा द्वारा पारित किये गये:

- राज्यसभा ने 8 दिसंबर, 2021 को विपक्ष की अनुपस्थिति में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 और सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 पारित किया।
- इस बिल ने एकल पुरुषों, लिव-इन जोड़ों और LGBT समुदाय को बाहर रखा है।

पृष्ठभूमि:

- केंद्र सरकार 2008 से ART (Assisted Reproductive Technology) उद्योग को विनियमित करने के लिए विधेयक पर काम कर रही थी।
- इस विधेयक का मसौदा सबसे पहले भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने तैयार किया था। इसे पहली बार 2020 में लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन इसने बिल को एक स्थायी समिति के पास भेज दिया।

ART विधेयक के प्रावधान:

- इस विधेयक में सभी चिकित्सा पेशेवरों और क्लीनिकों के लिए "राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण" (National Registry and Registration Authority) स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- यह प्राधिकरण क्षेत्र में काम करने वाले सभी क्लीनिकों और पेशेवरों के डेटाबेस को बनाए रखने में मदद करेगा। पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
- यह विधेयक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (ART) क्लीनिकों और ART बैंकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने, सुरक्षित और नैतिक प्रथाओं को अपनाने और दुरुपयोग को रोकने का भी प्रयास करता है।
- इसमें एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है। यह बोर्ड भौतिक बुनियादी ढांचे, नैदानिक उपकरण, विशेषज्ञ जनशक्ति और प्रयोगशाला के न्यूनतम मानक तय करेगा।
- यह विधेयक लिंग चयन और मानव भ्रूण या युग्मक की बिक्री करने वाले लोगों के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था करता है।

कानून के उल्लंघन पर जुर्माना:

- इस बिल में पहली बार के अपराधियों के लिए 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
- बाद के उल्लंघनों में 8 से 12 साल की कैद और 10 से 20 लाख रुपये के बीच जुर्माना हो सकता है।

बिल की आवश्यकता:

- प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने के लिए इस बिल की आवश्यकता थी। कई ART क्लीनिक ऐसे हैं जो बिना नियमन के चल रहे हैं।
- इसके अलावा, प्रक्रिया में भाग लेने वालों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।

3. संसद ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया:

ONLINE LEARNING WITH EXPERTS

संसद ने 13 दिसंबर, 2021 को "उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021" पारित किया।

मुख्य बिंदु:

इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया और चर्चा के बाद इसे लोकसभा में वापस कर दिया गया। धन विधेयक होने के कारण इस विधेयक को लोकसभा में वापस कर दिया गया।

बिल के बारे में:

यह विधेयक "सुप्रीम कोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958" के साथ-साथ "उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954" में संशोधन करना चाहता है। ये अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च

न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवाओं और वेतन की शर्तों को विनियमित करते हैं।

विधेयक के प्रावधान:

- इस विधेयक में पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का प्रावधान है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकृत किया जाता है।
- एक निर्दिष्ट पैमाने के अनुरूप एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, उन्हें पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए भी अधिकृत किया गया है।
- निर्दिष्ट पैमाने में पांच आयु वर्ग शामिल हैं, जिनकी न्यूनतम आयु 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष है।
- बढ़ती उम्र के साथ अतिरिक्त राशि पेंशन या पारिवारिक पेंशन के 20% से बढ़कर 100% हो जाती है।
- इस बिल के अनुसार, एक व्यक्ति को उस महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकृत किया

जाएगा, जिसमें वे संबंधित आयु वर्ग के तहत न्यूनतम आयु पूरी करते हैं।

न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- सरकार ने 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए "न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना" के विस्तार को मंजूरी दी है।
- यह योजना जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के परिसरों के न्यायिक अधिकारियों के लिए वकील हॉल, कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण में मदद करेगी।

4. गणतंत्र दिवस पर पांच मध्य एशियाई देशों के प्रमुख होंगे मुख्य अतिथि:

भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह, 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पांच मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान को आमंत्रित किया है।

मुख्य बिंदु:

- यह पहली बार है जब सभी पांच मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि होंगे।
- पिछली बार वे 2018 में आसियान शिखर सम्मेलन में एक साथ शामिल हुए थे।
- भारत इन देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध साझा करता है।
- गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी उपस्थिति दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी।

भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में गणमान्य व्यक्ति:

2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है, भारत ने निम्नलिखित गणमान्य अतिथियों को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया है:

- 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा
- 2016 में तत्कालीन-फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रेंकोइस ओलांद
- 2017 में संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
- 2018 में सभी 10 आसियान देश
- 2019 में दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा
- गणतंत्र दिवस के लिए 2020 में ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो
- यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन वह कोविड -19 महामारी के कारण शामिल नहीं हो सके।

मध्य एशियाई-भारत के विदेश मंत्री की बैठक:

भारत 18 और 19 दिसंबर, 2021 को मध्य एशियाई-भारत विदेश मंत्री की बैठक की भी मेजबानी करेगा। इसकी पहली बैठक जनवरी 2019 में समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई थी। दूसरी बैठक कोविड -19 के कारण वर्चुअली हुई थी।

मध्य एशियाई देशों को भारत का समर्थन:

भारत मध्य एशियाई देशों को अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। भारत ने पूर्व में मध्य एशियाई देशों के लिए ऊर्जा, आईटी, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन डॉलर के ऋण की घोषणा की है। भारत ने कनेक्टिविटी के लिए आसान मार्ग प्राप्त करने के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह के लिए भी पैरवी की है।

5. 'दिल्ली की योगशाला' (Dilli ki Yogshala) कार्यक्रम को लांच किया गया:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 दिसंबर, 2021 को 'दिल्ली की योगशाला' (Dilli ki Yogshala) कार्यक्रम की शुरुआत की।

मुख्य बिंदु:

- राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को मुफ्त योग कक्षाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली सचिवालय में यह कार्यक्रम लांच किया गया।
- जनवरी 2022 से योग की कक्षाएं शुरू होंगी।
- योगशाला कार्यक्रम के अंतर्गत, 400 योग प्रशिक्षकों की वर्तमान क्षमता पर दिल्ली में कम से कम 20,000 लोग योग का अभ्यास करेंगे।
- इस कार्यक्रम का लांच लोगों को बीमार होने से रोकेगा और इस प्रकार उपचार की आवश्यकता को रोकेगा।
- इसके अंतर्गत जनता को कक्षाएं और शिक्षक नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए, लोगों को 25 लोगों के एक समूह को इकट्ठा करने की आवश्यकता है जो योग सीखने के इच्छुक हैं। 9013585858 पर मिस्ड कॉल देकर समूह को एक प्रशिक्षक उपलब्ध करवाया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

दिल्ली सरकार ने फरवरी 2021 में योगशाला कार्यक्रम की संकल्पना की थी और इसे लागू करने के लिए उसने एक बजट भी पारित किया था।

प्रसन्नता पाठ्यक्रम (Happiness Curriculum):

- दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में 'प्रसन्नता पाठ्यक्रम' भी लॉन्च किया। हैप्पीनेस करिकुलम एक शैक्षिक कार्यक्रम है, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया है।
- यह कार्यक्रम जुलाई, 2018 में शुरू किया गया था। इसे विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- यह प्रोग्राम माइंडफुलनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल-इमोशनल लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है।

दिल्ली में इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के बाद आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड जैसे भारतीय राज्यों के साथ-साथ नेपाल,

अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इसी तरह के कार्यक्रमों को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।

6. लद्दाख को मिला अपना पहला FM रेडियो स्टेशन:

हाल ही में, लद्दाख को राजधानी लेह में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन प्राप्त हुआ।

मुख्य बिंदु:

- लेह में पहली बार टॉप एफएम रेडियो लद्दाख के सलाहकार उमंग नरूला द्वारा लॉन्च किया गया।
- लेह और कारगिल के लिए फ्रीक्वेंसी 91.1 FM होगी।

FM प्रसारण:

FM प्रसारण फ़्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन (FM) के माध्यम से रेडियो प्रसारण की एक विधि है। अमेरिकी इंजीनियर एडविन आर्मस्ट्रांग ने 1933 में इसका आविष्कार किया था। वाइड-बैंड FM का उपयोग दुनिया भर में प्रसारण रेडियो पर उच्च गुणवत्ता ध्वनि प्रदान करने के लिए किया जाता है। FM का उपयोग सामान्य ऑडियो या संगीत के अधिकांश प्रसारणों के लिए किया जाता है। FM रेडियो स्टेशन रेडियो फ्रीक्वेंसी की बहुत उच्च आवृत्ति रेंज का उपयोग करते हैं।

भारत में FM प्रसारण:

- भारत में FM प्रसारण 1977 में शुरू हुआ। हालाँकि, 2001 के बाद इसमें तेजी आई जब भारत में FM प्रसारण का निजीकरण शुरू हुआ। ऑल इंडिया रेडियो के FM LRS (लोकल रेडियो स्टेशन) का उद्घाटन 1 जुलाई 2001 को हुआ था।
- इसे कोडाईकनाल में 100.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में स्थापित किया गया था। वर्तमान में, भारत के 101 शहरों और कस्बों में 369 से अधिक परिचालित निजी रेडियो स्टेशन हैं। ऑल इंडिया रेडियो में लगभग 450 FM स्टेशन हैं। यह भारत में 39% क्षेत्र और 52% आबादी को कवर करता है।

7. भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port) के संयुक्त उपयोग पर चर्चा की:

14 दिसंबर, 2021 को भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port) के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की। उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने में बंदरगाह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया।

मुख्य बिंदु:

- इस बैठक के दौरान, तीनों देशों ने इस बंदरगाह के पार परिवहन गलियारे के विकास पर चर्चा की।
- रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बंदरगाह के विकास पर उनके बीच यह दूसरी ऐसी वर्चुअल बैठक थी।

- भाग लेने वाले देशों ने चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेहेस्ती टर्मिनल के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच पारगमन यातायात में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के विकास पर भी चर्चा की।

यह बंदरगाह रणनीतिक रूप से कैसे महत्वपूर्ण है?

चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने रूस, ब्राजील, जर्मनी, थाईलैंड, ओमान, यूक्रेन, बांग्लादेश, रोमानिया, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, यूएई और उजबेकिस्तान जैसे देशों से शिपमेंट और ट्रांस-शिपमेंट को संभाला है।

चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port):

चाबहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है। यह बंदरगाह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। इसमें दो अलग-अलग बंदरगाह शामिल हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती। प्रत्येक बंदरगाह में पांच बर्थ हैं। यह पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से लगभग 170 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।

पृष्ठभूमि:

ईरान के अंतिम शाह ने इस बंदरगाह को विकसित करने का प्रस्ताव 1973 में रखा था। 1979 की ईरानी क्रांति के कारण इसके विकास में देरी हुई थी। बंदरगाह का पहला चरण 1983 में ईरान-इराक युद्ध के दौरान खोला गया था।

चाबहार बंदरगाह पर भारत-ईरान समझौता:

भारत और ईरान पहली बार 2003 में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह को विकसित करने की योजना पर सहमत हुए थे। हालांकि, ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के कारण इस समझौते पर काम नहीं किया जा सका। दोनों देशों ने मई 2016 में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत शहीद बेहेश्ती बंदरगाह पर एक बर्थ का नवीनीकरण करेगा और साथ ही वहां 600 मीटर लंबी कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का पुनर्निर्माण करेगा। भारत इस बंदरगाह को विकसित करने का इच्छुक इसलिए है क्योंकि यह भारत को भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। अफगानिस्तान में भारत की पहली गेहूं की खेप अक्टूबर 2017 में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजी गई थी।

अंतत: दिसंबर 2018 में, भारत ने चाबहार बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में ले लिया।

8. असम की 'मनोहरी गोल्ड टी' एक लाख रुपए प्रति किलो में नीलाम की गई:

'मनोहरी गोल्ड टी' नामक असम चाय की एक दुर्लभ किस्म ने एक रिकॉर्ड बनाया, इसे 99,999 रुपये प्रति किलोग्राम की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम किया गया।

मुख्य' बिंदु:

- 'मनोहरी गोल्ड टी' ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ कर इतिहास रच दिया है।
- सौरव टी ट्रेडर्स ने सबसे ऊंची बोली 99,999 रुपये प्रति किलो के साथ गोल्ड टी खरीदी।

- इसे सार्वजनिक नीलामी में चाय की अब तक की सबसे ऊंची कीमत माना जा रहा है।

मनोहरी गोल्ड टी:

मनोहरी गोल्ड टी का उत्पादन मनोहरी टी एस्टेट द्वारा किया जाता है। इसका उत्पादन असम के ऊपरी डिब्रूगढ़ जिले में होता है।

पृष्ठभूमि:

इससे पहले अगस्त 2019 में गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर (GATC) में गोल्डन बटरफ्लाई टी की कीमत 75,000 रुपये प्रति किलो थी। गोल्डन बटरफ्लाई टी हस्तनिर्मित असम चाय की एक दुर्लभ किस्म है, जिसे रॉसेल टी इंडस्ट्रीज के डिकॉम टी एस्टेट द्वारा उत्पादित किया जाता है।

गोल्डन बटरफ्लाई टी (Golden Butterfly Tea):

गोल्डन बटरफ्लाई टी का उत्पादन असम के डिब्रूगढ़ शहर में डिकॉम टी एस्टेट द्वारा किया जाता है। यह हाथ से तैयार की गई चाय है। इसे कोमल पत्तियों और कलियों से बनाया जाता है जो जून-जुलाई के आसपास उपलब्ध होते हैं। चाय का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस असाधारण दुर्लभ और विशेष चाय को

बनाने में केवल नरम सुनहरे टॉप्स ही जाते हैं। इसमें एक अत्यंत मधुर और मीठा कैरेमल स्वाद है।

असम में चाय की खेती:

असम दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र है। असम में यह उद्योग 200 वर्षों से लगातार बढ़ रहा है।

असम चाय:

असम की चाय एक काली चाय है। इसका नाम इसके उत्पादन के क्षेत्र, यानी असम के नाम पर रखा गया है। असम चाय का निर्माण कैमेलिया साइनेंसिस वर् से किया जाता है। यह चाय असम के लिए स्वदेशी है। असम की चाय ज्यादातर समुद्र तल पर या उसके आसपास उगाई जाती है।

ONLINE LEARNING WITH EXPERTS